N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट )**
**अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.**

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0088 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/04/2025 19:10 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 07/04/2025

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/04/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/04/2025 19:10:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY JILA KHADHY SURAKSHA AVM AUSHADHI NIYANTRAN, MINI SAWASTHYA BHAVAN,, SETHE COLONY,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAVI KANT SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASHOK KUMAR SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 3/736,, JHALANA GRAM,KAILGARI ASPATAL KE PEECHHE, MALVIYA NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 3/736,, JHALANA GRAM,KAILGARI ASPATAL KE PEECHHE, MALVIYA NAGAR, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINESH KUMAR | | पिता:BHAGWANDAS | 1. 3-D-5,JAWAHAR NAGAR,JAWAHAR NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 5,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 04.04.2025 को परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 3/736, झालाना ग्राम, कैलगरी अस्पताल के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं नवीन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर नाम से नृसिंह विहार एसकेआईटी के पास, जगतपुरा, जयपुर में दुकान चलाता हूं। उक्त दुकान का मेडिकल संबंधित कार्य हेतु मेरी पत्नी श्रीमती प्रियंका शर्मा लाईसेंसधारी है, उक्त दुकान का नाम परिवर्तन श्री नवीन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर हेतु करवाने के लिये कुछ समय पहले मैंने संबंधित विभाग की साईट पर ऑनलाईन आवेदन किया था तथा इस काम की जानकारी के लिए करीब 02-03 दिन पहले खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण संगठन जोन जयपुर सेठी कालोनी, जयपुर स्थित कार्यालय गया जहां पर संबंधित जानकारी चाही तो उसने बोला काम तो तुम्हारा मैं करवा दूंगा तुम्हें आवेदन की हार्डकॉपी लाकर देनी पड़ेगी और तुम्हारा काम बिना किसी तकलीफ के हो जायेगा, तुम्हें 5,000 रुपये मुझे देने पड़ेगे, केवल ऑनलाईन आवेदन करने से तुम्हारा काम नहीं होगा। जिस पर मैंने उसे आवेदन की हार्डकॉपी लाकर बाद में मिलने को बोला । श्री दिनेश बाबू मुझसे दुकान के नाम परिवर्तन कराने के लिए रिश्वत राशि 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) मांग कर रहा है, जो मैं उसे नहीं देना चाहता हूं तथा दिनेश बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी दिनेश बाबू से कोई रंजिश, उधार या लेन-देन बकाया नहीं है। कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी ने प्रार्थना-पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति भी पेश की। परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा से मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि हमारी नवीन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर दुकान का मेडिकल संबंधित कार्य हेतु मेरी पत्नी श्रीमती प्रियंका शर्मा के नाम लाईसेंस है तथा उक्त दुकान का नाम परिवर्तन श्री नवीन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर करवाने के लिये मेरी पत्नी के कहने पर मेरी पत्नी के नाम से मैंने ही ऑनलाईन आवेदन किया था तथा हमारे इस काम की जानकारी के लिए करीब 02-03 दिन पहले खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण संगठन जोन जयपुर, सेठी कालोनी, जयपुर स्थित कार्यालय गया था, जहां पर श्री दिनेश बाबू ने मुझसे दुकान के नाम परिवर्तन कराने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत राशि मांग की है और वह रिश्वति-राशि मेरे से ही प्राप्त करेगा। परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई तथा दिनांक 04.04.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें परिवादी को उसकी मेडिकल की दुकान का नाम परिवर्तन करने की ऐवज में श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा से 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर दिनांक 07.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। दिनांक 07.04.2025 को स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी उपस्थित कार्यालय आये परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 07.04.2025 को समय 02.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा, श्री बल्भाराम शर्मा व श्री हरिसिंह कानि. 19, श्री बंशीधर कानि. 24, श्री मनुशर्मा कानि. 111 व श्री आशीष कानि. 208 मय टे[a]प बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के व परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा को श्री राजकुमार हैड कानि. 79 के साथ परिवादी के निजी वाहन से सीएमएचओ कार्यालय से पहले सेठी कॉलानी में मिलने के लिए हिदायत कर रवाना कर सेठी कॉलोनी में सीएमएचओ कार्यालय से पहले पहुंच कर समय 02.43 पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, जयपुर के लिए पैदल रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। लेकिन संदिग्ध आरोपी कार्यालय में नहीं मिलने व 04 बजे बाद आने की जानकारी मिलने पर परिवादी वापस बाहर आया, जिससे डीवीआर बंद कर प्राप्त किया गया व संदिग्ध आरोपी

के कार्यालय में आने का इंतजार किया गया। इसके पश्चात समय 04.12 पीएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, जयपुर के लिए पैदल रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 05.15 पीएम पर परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, सेठी कॉलोनी, जयपुर में द्वितीय तल पर राजस्थान सरकार कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, मिनी स्वास्थ्य भवन, मन्दिर मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राज.) -302004, परिसर के बाहर आकर सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम टे°प पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस अपने साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा ने बताया कि श्री दिनेश कुमार बाबूजी ने अपने कक्ष में मेरे से हाथ बढ़ाकर ईशारा करते हुये रिश्वती राशि 5,000 रुपये को अपने दांये हाथ में प्राप्त कर उसकी टेबल की दराज में अपने हाथ से रखकर अपनी सीट पर बैठा हुआ है। जिस पर परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा को साथ लेकर मय हमराहीयान के'राजस्थान सरकार कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, मिनी स्वास्थ्य भवन, मन्दिर मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राज.)-302004 परिसर में जितेन्द्र कुमार मीणा, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर लिखे हुये श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के कक्ष से जुड़े हुये कक्ष के अन्दर पहुंचा, उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री दिनेश बाबूजी हैं, जिसने मुझसे अभी-5,000 रूपये रिश्वती राशि अपने दांये हाथ से प्राप्त कर इसकी टेबल की दराज में अपने हाथ से रखें है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास, उम्र 59 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी 841 /44, प्रेम नगर, फाय सागर रोड़, अजमेर हाल 3—ड-5, जवाहर नगर, जयपुर हाल अति. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, जयपुर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा से 5,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मैंने रवि कान्त शर्मा से 5,000 रुपये रिश्वत राशि नहीं ली है। मैं रविकान्त को पहले से ही जानता हूं, इन्होंने पहले भी मेरे से अपना व अपने मिलने वालों का कार्य करवाया था। इनकी मेडिकल की दुकान का नाम परिर्वतन का कार्य हमारे कार्यालय में मेरे पास पैण्डिंग चल रहा था, इसके लिए रवि कान्त मेरे पास आया था । मैंने इनसे रिश्वत राशि की मांग नहीं की इन्होंने जबरदस्ती 500-500 रुपये के नोट मेरी टेबल की दराज में रख दिये। जिस पर मौके पर मौजूद परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा ने श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि हमारी नवीन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर दुकान का नाम परिवर्तन करवाने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया था तथा इस काम की जानकारी के लिए मैं इनके पास आया तो इन्होंने मेरे से 5,000 रुपये रिश्वति राशि की मांग की, जिस पर मैंने इस संबंध में दिनांक 04.04.25 को आपके कार्यालय में शिकायत करने पर आपके निर्देशानुसार मैं दिनांक 04.04.25 को आपके कार्यालय का डीवीआर लेकर इनके पास आया था, तब इन्होंने मेरे से सौ रुपये का स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने तथा हमारी मेडिकल की दुकान का नाम परिवर्तन करने की ऐवज में 5,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। इस क्रम में आज इनके पास 5,000 रुपये रिश्वति राशि लेकर आया था। श्री दिनेश बाबुजी ने मुझसे 5,000 रूपये रिश्वती राशि अपना हाथ बढ़ाकर ईशारा करते हुये अपने दांये हाथ से प्राप्त कर इनकी टेबल की दराज में अपने हाथ से रखे हैं। परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी व परिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी की टेबल की दांये साईड की नीचे की दराज को खोला जिसमें एक 500 के स्टाम्प पेपर पर 500-500 रुपये के नोट रखे हुये नजर आये। स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से उक्त रुपये उठवाये जाकर गिनती करवाई गई तो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये हुबहू वहीं नम्बरी नोट होना पाए गए। उपरोक्त 5,000 रूपये के नोटों को पृथक से सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर उक्त कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया । तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी दिनेश कुमार के दायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितों के हस्ताक्षर

करवाये गये। इसी प्रकार ट्रेप बॉक्स में से एक अन्य साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर उक्त कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी दिनेश कुमार के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात् एक अन्य साफ प्लास्टिक के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर स्टाम्प पेपर जिस पर से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, को एक साफ कपड़े की चिंदी से पौंछकर उस कपड़े की चिंदी को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। 500 रुपये का स्टाम्प पेपर जिस पर रिश्वती राशि रखी हुई थी, के समस्त पृष्ठों की छायाप्रति करवाई जाकर श्री दिनेश कुमार तनेजा, कार्यालय अध्यक्ष एवं सहायक औषधी नियंत्रक को सुपुर्द की गई तथा उक्त स्टाम्प पेपर के मुख्य पृष्ठ व इसके संलग्न 04 पृष्ठों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा जिस साफ कपड़े की चिंदी से सफेद कागज को पौंछा गया था, उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उसके पश्चात श्री दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी की टेबल पर रखे परिवादी के ऑनलाईन आवेदन पत्र जिसका पंजीकरण क्रमांक डीआरजीईएक्सटी/2024-25/134809 की प्रति तथा 100 रुपये का स्टाम्प घोषणा पत्र पृष्ठ सं. 01 से 07 तक के समस्त पृष्ठों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर समस्त पृष्ठों की छायाप्रति करवाई जाकर श्री दिनेश कुमार तनेजा, कार्यालय अध्यक्ष एवं सहायक औषधी नियंत्रक को नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु सुपुर्द की जाकर उक्त 07 पृष्ठों को बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा परिवादी के ऑनलाईन आवेदन जिसका पंजीकरण क्रंमाक डीआरजीईएक्सटी/2024-25/134809 हैं, की वर्तमान स्थिति इनके कम्प्यूटर से कुल पृष्ठ 02 का प्रिन्ट आऊट लिया जाकर श्री दिनेश कुमार तनेजा, कार्यालय अध्यक्ष एवं सहायक औषधी नियंत्रक से प्रमाणित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया जाकर कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी दिनेश कुमार से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात् दिनेश कुमार को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी दिनेश कुमार ने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी दिनेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी दिनेश कुमार द्वारा " फर्म का नाम ऐसे ही थोड़ी चेंज होगा", आरोपी दिनेश कुमार द्वारा, " डायरेक्ट करवाना चाहता है या मैं करवाऊं" , परिवादी रवि कान्त शर्मा द्वारा, "मैं तो आपको ही जानता हूं। आप ही करवाओ.. खर्चा बताओ" , आरोपी दिनेश कुमार द्वारा, " तेरे लिए पांच", परिवादी रवि कान्त शर्मा द्वारा, " पांच पांच तो बहुत होता है", परिवादी रवि कान्त शर्मा द्वारा, " अभी कुछ", आरोपी दिनेश कुमार द्वारा, " नहीं एक साथ दे जाना तुम वो स्टाम्प बनवा के ले आओ उस समय दे जाना" इसके अलावा रिश्वत लेन-देन के दौरान परिवादी रवि कान्त शर्मा द्वारा, "पूरे पांच है, पांच हजार" आरोपी दिनेश कुमार द्वारा, " ठीक" आदि वार्ताऐं हुई हैं। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी दिनेश कुमार अति. प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर वैद्ध पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी से उसकी मेडिकल की दुकान का नाम परिवर्तन करने की ऐवज में आरोपी दिनेश कुमार द्वारा परिवादी श्री रवि कान्त शर्मा से 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 07.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी दिनेश कुमार द्वारा परिवादी से 5,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास, उम्र 59 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी 841/44, प्रेम नगर, फाय सागर रोड़, अजमेर हाल 3-ड-5, जवाहर नगर, जयपुर हाल अति. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण,

सेठी कॉलोनी, जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास, उम्र 59 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी 841/44, प्रेम नगर, फाय सागर रोड़, अजमेर हाल 3-ड-5, जवाहर नगर, जयपुर हाल अति. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रंण, सेठी कॉलोनी, जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 134 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 512-15 दिनांक 08-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियत्रण आयुक्तालय, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** OMPRAKASH KELANIA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/04/2025 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** DR PYARE LAL SHIVRAN
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 02/12/1965 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (श्वेत रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)